REGISTERED No. D. (O.)-72



असाधारग EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3-- उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

No 437

No. 437]

नई विल्ली, सोमवार, प्रक्तूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सर्क।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रस्थक्त-कर बोर्ब)

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 29 ग्रक्तूबर, 1979

सीय-बर्ग

का॰ द्या॰ 608(घ):--केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ध्राय-कर प्रिविनयम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदस्त कक्तियों का प्रयीय करते हुए, ग्राय-कर नियम, 1962 में घौर संबोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, ग्रवित्:---

- 1. (1) इन नियमों का नाम धाय-कर (षष्ठ संसोधन) नियम, 1979 है।
 - (2) ये । धरीज, 1980 को प्रवृस्त होंसे।
- ग्राय-कर नियम, 1962 के परिक्रिक्ट 2 में:---
 - (1) प्ररूप सं० 1 में,--
 - (क) उपार्थक्ष में के भीग । के उपमान का में,---
 - (i) मद 2 में, उपमद (ट) के स्वान पर, निम्नलिश्वित उपमद रखी जाएगी अर्थात्:---
 - "(ट) ब्रारक्षिति या हुनंत भीर कॅकास्पद ऋष के लिए उपनंत्र [धारा 36 (1) (Vii) (क) में निर्दिष्ट हुनंत ग्रीर कंकास्पद ऋष के लिए उपनंत्र से पिन्न)";
 - (ii)] मच 3 में,---
 - (क) उपमय (छ) के स्थान पर, निम्नतिश्चित उपमय रखी जाएमी, मर्थाष्ट्र---

- "(छ) प्राम विकास कार्यकर्मों के कार्यान्यन के लिए या ऐसे कार्याक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के प्रशासण के लिए संयाओं और संस्थाओं को संदाय के रूप में व्यय-धारा 35 ग म क;"
- (ख) उपमद (ट) से (द) तक को उपमद (ठ) से (छ) तक के रूप में पुनाक्षरित किया जाएगा भीर इस प्रकार पुनाक्षरित उपमद (ठ) के पूर्व निम्नलिखित उपमद ग्रंत:स्थापित की जाएगी, ग्रर्थात :---
 - "(ट) दूवंत भीर सकांस्पद ऋष के लिए उपवंध— भारा 36(1)(Vii)क";
- (दा) उपवंत्रं च के भाग । में,—
 - (i) मर्व 2 से 5 तक की मद 3 से 6 तक के रूप में पुनक्षेत्रपाकि किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्सक्यांकित मद
- (3) के पूर्व निम्नलिखित यद ग्रंत:स्थापित की जाएगी श्रवति :---
 - "(2) विज्ञानिक प्रमुसंद्रान या प्राप्त विकास के लिए संदान---धारा 80 छ छ क";
- (ii) मह 6 से 13 तक को मद 8 से 15 तक के रूप में पुनर्संख्यांक्त किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांक्ति मद 8 के पूर्व निम्निसिखित मद अंतःस्वापित की आएगी प्रवित्त :---
 - "7. उपी दलकों से कारबार से लाभ भीर उपलब्धि:---
- (2) प्ररूप सं 2 में,---
 - (क) ज्याबंध क्ष के भाग 1 के उपभाग बाकी सद 3 में उपमद

(1081)

- (छ) के स्थान पर, निम्निलिखित उपमद रखी जाएगी अर्थात् :— "(छ) ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यात्वयन के लिए बा ऐसे कार्यक्रमों को कार्यात्वित करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए संयाओं श्रीर संस्थाओं को संदाब के रूप में व्यय-धारा 35 गग क";
- (स) उपाबंध क के भाग 1 में,---
 - (i) मद 8 और 9 को मद 9 और 10 के रूप में पुनर्बंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 9 के पूर्व निम्नालिश्वित मद ग्रंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
 - "8. उगते छन्नकों के कारबार से लाभ और उपलब्धि —80 अ अ क"
- (ii) मद 10 से 13 तक को, मद 12 से 15 तक के रूप में पुनंसंख्यांक्ति किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद 12 के पूर्व, निम्नलिखित मद प्रतास्थापित की जाएगी, खर्बात्:—
 "11. भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों के लेखकों की बृत्तिक आय—80 य म क";
- (3) प्ररूप सं० 2 क के उपाबंध ख के भाग 1 में, मद 4 से 6 तक को मद 5 से 7 के रूप में पुनर्संख्यां कित किया जाएगा श्रीर इस प्रकार पुनर्संख्यां कित मद 5 के पूर्व, निम्नलिकित मद श्रंतः स्थापित की जाएगी श्रवांतः—
 - "4 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम बिकास के लिए संदान धारा 80 छ छ क";
- (4) प्ररूप सं० 3 के उपाबंध ध के भाग 1 में, मद 4 से 9 तक को मद 5 से 10 तक के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएमा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित मद अतःस्वापित की जाएगी अर्थात् :— *
 - "4. वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामविकास के लिए संदान धारा 80 छ छ क";
- (5) प्ररूप सं० 3 क के उपविध ग के भाग 1 के उपभाग था की मद 3 में उपमब (छ) के स्थान पर, निम्निलिश्वित उपमब रखी जाएंगी ग्रर्थात् :—
 - "(छ) ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वरन के लिए का ऐसे कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के क्रिक्क क्षण के लिए संधायों और संस्थायों को संदाय के रूप मैं व्यय-धारा 35 गण क।"

[सं॰ 3047] फा॰ सं॰ 142/8/79- टी पी एल] एस॰ एन॰ मेन्डे, सचित्र,

MINISTRY OF FINANCE (Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 1979 INCOME-TAX

- S.O. 668(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (Sixth Amendment) Rules, 1979.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1980.
 - 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appenlix II,-
 - (1) in Form No. 1,—
 - (a) in Annexure C, in Part I, in Sub-Part B,-
 - (i) in item 2, for sub-item (k), the following sub-item shall be substituted, namely:
 - "(k) Reserve or provision for bad and doubtful debts [other than provision for bad and doubtful debts referred to in section 36(1)(viia)]";

- (ii) in item 3,-
 - (A) for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely:—
 - "(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programme or for training of persons for implementing such programmes—Sec. 35-CCA";
 - (B) sub-items (k) to (r) shall be re-lettered as subitems (1) to (s) and before sub-item (1) as subre-lettered, the following sub-item shall be inserted, namely:—
 - "(k) Provision for bad and doubtful debts— Sec. 36(1)(viia)";
- (b) in Annexure F, in Part I,---
 - (i) items 2 to 5 shall be re-numbered as items 3 to 6 and before item 3 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—
 - "2. Donations for scientific research or rural development—80-GGA";
 - (ii) items 6 to 13 shall be re-numbered as items 8 to 15 and before item 8 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely :---
 - "7. Profits and gains from business of growing mushrooms—80-JJA";
- (2) in Form No. 2,-
 - (a) in Annexure D, in Part I, in Sub-Part B, in item 3, for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely:—
 - "(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programmes or for training of persons for implementing such programmes—Sec 35CCA";
 - (b) in Annexure G, in Part I,-
 - (i) items 8 and 9 shall be re-numbered as items 9 and 10 and before item 9 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—
 - "8. Profits and gains from business of growing mushrooms—80IJA";
 - (ii) items 10 to 13 shall be re-numbered as items 12 to 15 and before item 12 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—
 - "11. Professional income of authors of text books in Indian languages—80QQA";
- (3) in Form No. 2A, in Annexure B, in Part I, items 4 to 6 shall be renumbered as items 5 to 7 and before item 5 as 30 re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—
 - "4. Donations for scientific research or rural development—80GGA";
- (4) in Form No. 3, in Annexure D, in Part I, items 4 to 9 shall be re-numbered as items 5 to 10 and before item 5 as so re-numbered, the following item shall be inserted, namely:—
 - "4. Donations for scientific research or rural development—80GGA";
- (5) in Form No. 3A, in Annexure C, in Part I, in Sub-Part B, in item 3, for sub-item (g), the following sub-item shall be substituted, namely:—

 $A_{ij} = A_{ij} \stackrel{A}{\longrightarrow} A_{ij} \stackrel{A$

"(g) Expenditure by way of payment to associations and institutions for carrying out rural development programmes or for training of persons for implementing such programmes—sec. 35CCA".

[No. 3047/F. No. 142(8)/79-TPL]
S. N. SHENDE, Secy.